भारत के राजपत्र, असाधारण-भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 2026

लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026
(2026 का 02)

एफ. सं. M-6/(2)/2023-FEA-I– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) के साथ पठित धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016 (2016 का 5) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. (1) इन विनियमों को *लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026* कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. *लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016* (जिसे आगे "**मूल विनियम**" कहा गया है) के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

6. **सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने अथवा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के परिणाम** - (1) यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह अपने लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों या अधिनियम के उपबंधों या नियमों या विनियमों या जारी किए गए आदेश या उसके तहत जारी किए गए निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय निरुत्साहन के रुप में, पहले सात दिनों के लिए उल्लंघन के प्रत्येक दिन के लिए बीस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और, यदि उल्लंघन सात दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है, तो सात दिनों के बाद उल्लंघन के बाद के प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चालीस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा निर्देशित अधिकतम दस लाख रुपये के अधीन होगा।

बशर्ते कि यदि कोई सेवा प्रदाता लगातार दो या उससे अधिक वर्षों तक विनियम 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, दूसरे और उसके बाद के लगातार वर्षों के पहले सात दिनों के दौरान उल्लंघन के प्रत्येक दिन के लिए पचास हज़ार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; और यदि उल्लंघन उस लगातार वर्ष के सात दिनों से आगे भी जारी रहता है, तो उल्लंघन के प्रत्येक बाद के दिन के लिए पचहत्तर हज़ार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा पच्चीस लाख रुपये होगी, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

(2) यदि विनियम 5 के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट गलत पाई जाती है या सेवा प्रदाता अपनी रिपोर्ट में किसी महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छोड़ देता है, जबकि उसे यह मालूम होता है कि वह महत्वपूर्ण है, तो सेवा प्रदाता अपने लाइसेंस के निबंधन और शर्तों, या अधिनियम के उपबंधों या नियमों या विनियमों या किए गए आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या उसके तहत जारी किए गए निदेश, निम्नानुसार वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे: -

क्रम सं	**सेवा प्रदाता का वार्षिक कारोबार**	**मामूली उल्लंघन के लिए वित्तीय निरुत्साहन**	**बड़े उल्लंघन के लिए वित्तीय निरुत्साहन**
1.	500 करोड़ रुपये तक	25 लाख रुपये तक	50 लाख रुपये तक
2.	500 करोड़ से ज्यादा और 5000 करोड़ रुपये तक	50 लाख रुपये तक	1 करोड़ रुपये तक
3.	5000 करोड़ रुपये से ज्यादा	1 करोड़ रुपये तक	5 करोड़ रुपये तक

(3) यदि कोई सेवा प्रदाता वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के लिए आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर विनियम 6 के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लागू भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ लेंडिंग दर से दो प्रतिशत अधिक होगी, जो दिन निर्धारित अवधि का अंतिम दिन पड़ता हो।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना करने हेतु महीने के किसी भी एक हिस्से को एक पूर्ण कैलेंडर महीने के रूप में गिना जाएगा, और महीने की गणना अंग्रेजी कैलेंडर महीने के अनुसार होगी।

(4) इस विनियम के तहत वित्तीय निरुत्साहन के माध्यम से किसी भी राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण द्वारा तब तक कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पालन किए गए नियमों के उल्लंघन के मामले में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न दिया गया हो।

(5) प्राधिकरण, वित्तीय निरुत्साहन को माफ कर सकता है, वित्तीय निरुत्साहन की राशि को कम कर सकता है या सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को देखते हुए गुणदोष के आधार उल्लंघन को छोटे या बड़े उल्लंघन के रुप में वर्गीकृत कर सकता है,

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव

नोट.1. - मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 10 जून, 2016 को अधिसूचना संख्या 16-02/2015-F&EA, दिनांक 10 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

नोट.2 -*व्याख्यात्मक ज्ञापन में लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2026* के उद्देश्यों और कारणों का विवरण दिया गया है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे आगे "**प्राधिकरण**" या "**भादूविप्रा**" कहा गया है) की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं तथा उनसे संबंधित विषयों के विनियमन के लिए की गई है। प्राधिकरण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक समान अवसर प्रदान करने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा अपने कार्यों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक संपादित करने हेतु, प्राधिकरण को वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जिनका उपयोग विनियामक निर्णय और विश्लेषण के लिए किया जाता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात् लाभ एवं हानि खाता तथा बैलेंस शीट, कंपनी की समग्र स्थिति से संबंधित समेकित जानकारी ही प्रदान करते हैं, जबकि विनियामक उद्देश्यों के लिए लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए)-वार, सेवा-वार तथा उत्पाद-वार अलग-अलग जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसे केवल लेखा पृथक्करण रिपोर्टो के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. लेखा पृथक्करण रिपोर्टो (एएसआर) द्वारा प्रदान की जाने वाली अलग-अलग वित्तीय जानकारी विनियामक उद्देश्यों के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि लागतों तथा राजस्व का विश्लेषण करना, ऑपरेटर के व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्रों में नियोजित पूंजी का आकलन करना, विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के वित्तीय प्रदर्शन तथा लाभप्रदता का मापन करना। यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अपनाई जा रही क्रॉस- सब्सिडाईजेशन प्रैक्टिसेज, गैर-शोषण मूल्य निर्धारण तथा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार की पहचान करने में भी सहायक होती है। इसके अतिरिक्त, बहु-ऑपरेटर तथा बहु-सेवा वाले वातावरण में टीएसपी के लेखा पृथक्करण रिपोर्ट विनियामक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विनियामक कार्यों में उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि वॉयस एवं एसएमएस के लिए इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आईयूसी) का निर्धारण, कैरिज शुल्क, स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा रोमिंग शुल्क, घरेलू लीज्ड सर्किट शुल्क और अंतरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट शुल्क का निर्धारण, इसके अतिरिक्त ऑपरेटरों के बीच लागत, राजस्व और निवेश आदि की तुलना करना।[1]

[1] https://trai.gov.in/sites/default/files/2024-11/Accounting_Separation_Regulations_2016Eng10Jun2016.pdf

3. लगभग दो दशक पूर्व, प्राधिकरण ने 23 फरवरी, 2004 को *"लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2004"* जारी किए थे। एएसआर, 2004 के क्रियान्वयन के पश्चात दूरसंचार क्षेत्र में अनेक विकास हुए, जिनका प्रभाव उस प्रकार की जानकारी पर पड़ा जिसकी आवश्यकता प्राधिकरण को थी, तथा उस तरीके पर भी पड़ा जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जानी थी।

4. उपर्युक्त आवश्यकताओं तथा परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने *"लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2012"* को 10 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किया, जिसके द्वारा *"लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2004"* को निरस्त कर दिया गया। इस विनियम में 15 अक्टूबर, 2012 को एक संशोधन भी जारी किया गया, जिसके अंतर्गत विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन न करने की स्थिति में सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने से संबंधित एक खंड जोड़ा गया।

5. एएसआर, 2012 के क्रियान्वयन के दौरान कई सेवा प्रदाताओं ने परिचालन तथा रिपोर्टिंग संबंधी कठिनाइयों को रेखांकित किया। इन चिंताओं का संज्ञान लेते हुए तथा हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के उपरांत, प्राधिकरण ने इस फ्रेमवर्क की समीक्षा की और तत्पश्चात *लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016* को अधिसूचित किया। एएसआर, 2016 का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा प्रदाता प्राधिकरण को सुसंगत, सटीक तथा विश्वसनीय जानकारी प्रदान करें।

6. एएसआर के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन का प्रावधान एक अनुपालन तंत्र के रूप में किया गया था, न कि राजस्व अर्जित करने के उपाय के रूप में। वित्तीय निरुत्साहन का उद्देश्य रिपोर्टो का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण तथा जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करना है, जो विनियामक निर्णय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे निरोधक प्रावधान के अभाव में एएसआर प्रस्तुतियों में विलंब अथवा अशुद्धियाँ विनियामक विश्लेषण को प्रभावित कर सकती हैं, बाजार के आकलन को विकृत कर सकती हैं तथा विनियामक निगरानी की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती हैं।

लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा

7. विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संबंधित विनियामक प्रावधानों में संशोधन करने हेतु, प्राधिकरण ने *लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2025* का मसौदा प्रस्तुत किया। इस मसौदा परामर्श में अधिकतम सीमा निर्धारित करने, उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप क्रमिक (ग्रेडेड) तरीके से वित्तीय निरुत्साहन

लागू करने तथा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान में चूक होने की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रावधान सम्मिलित था।

8. प्राधिकरण ने लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा 16.10.2025 को सार्वजनिक परामर्श हेतु भादूविप्रा की वेबसाइट पर जारी किया।

9. मसौदे में वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित किए गए थे:–

"**6. सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने या गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के परिणाम–** **(1)** यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह, अपने लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों या अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या आदेशों अथवा जारी किए गए निर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल हुए बिना, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, उल्लंघन के पहले सात दिनों के लिए प्रत्येक दिन के उल्लंघन पर ₹20,000 की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यदि उल्लंघन सात दिनों से अधिक अवधि तक जारी रहता है, तो सात दिनों के पश्चात प्रत्येक आगामी दिन के उल्लंघन के लिए ₹40,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख होगी, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है:

बशर्ते कि– यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 5 के प्रावधानों का दो या अधिक लगातार वर्षों में उल्लंघन करता है, तो वह दूसरे तथा उसके पश्चात के प्रत्येक लगातार वर्ष में उल्लंघन के पहले सात दिनों के लिए प्रत्येक दिन के उल्लंघन पर ₹50,000 की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यदि उस लगातार वर्ष में उल्लंघन सात दिनों से अधिक अवधि तक जारी रहता है, तो प्रत्येक आगामी दिन के उल्लंघन के लिए ₹75,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25 लाख होगी, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

(2) यदि विनियम 5 के अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मिथ्या पाई जाती है या यदि सेवा प्रदाता अपने रिपोर्ट में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हुए भी जानबूझकर उल्लेखित नहीं करता है, तो वह, अपने लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों या अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या आदेशों अथवा जारी किए गए निर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल हुए बिना, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, अपनी कुल आय का एक प्रतिशत से अधिक न होने वाली राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

(3) यदि कोई सेवा प्रदाता इस विनियम के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के लिए आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी वित्तीय निरुत्साहन राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी दर उस वित्तीय वर्ष के आरंभ में लागू भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ लेंडिंग रेट से दो प्रतिशत (2%) अधिक होगी, जिसमें निर्दिष्ट अवधि का अंतिम दिन आता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना के उद्देश्य से माह के किसी भाग को पूर्ण कैलेंडर माह के रूप में माना जाएगा तथा माह को अंग्रेज़ी कैलेंडर माह के रूप में माना जाएगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के रूप में किसी राशि के भुगतान के संबंध में कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा देखे गए विनियमों के उल्लंघन के मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तिसंगत अवसर प्रदान न किया गया हो।

(5) बशर्ते कि– यदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत कारणों में प्राधिकरण को पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता है, तो प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन को माफ कर सकता है अथवा वित्तीय निरुत्साहन की कम राशि आरोपित कर सकता है।

10. हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे मसौदा विनियम पर अपनी टिप्पणियाँ 07.11.2025 तक प्रस्तुत करें। मसौदा परामर्श के प्रत्युत्तर में विभिन्न हितधारकों, जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, संघों तथा अन्य हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।

टिप्पणियों तथा लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2026 का परीक्षण:

11. प्राधिकरण ने प्राप्त सभी टिप्पणियों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है तथा प्रभावी विनियामक अनुपालन की आवश्यकता को समानुपातिकता, निष्पक्षता तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया है।

12. मसौदे के समर्थन में एक हितधारक ने यह उल्लेख किया कि प्रस्तावित परिवर्तन दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन, जवाबदेही तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। हितधारक ने इस बात की सराहना की कि दंड को अनुपालन न करने की गंभीरता तथा उसकी आवृत्ति से जोड़ा गया है, जो उसके मत में उल्लंघनों को हतोत्साहित करेगा तथा विनियामक निगरानी को

सुदृढ़ करेगा। साथ ही, हितधारक का मत था कि उचित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए वित्तीय निरुत्साहन के प्रावधान आवश्यक हैं।

13. कुछ हितधारकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि एएसआर अब प्रासंगिक नहीं रहा है, क्योंकि इसे मूलतः लागत-आधारित विनियमन जैसे कि इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आईयूसी) के लिए प्रारंभ किया गया था, जो अब लागू नहीं है। उनके अनुसार, भादूविप्रा को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के माध्यम से पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे एएसआर फाइलिंग दोहरावपूर्ण और बोझिल प्रतीत होती है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि किसी कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात् लाभ एवं हानि खाता तथा बैलेंस शीट, कंपनी की समग्र स्थिति से संबंधित केवल समेकित जानकारी ही प्रदान करते हैं, जबकि विनियामक उद्देश्यों के लिए लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए)-वार, सेवा-वार तथा उत्पाद-वार पृथक जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसे केवल लेखा पृथक्करण रिपोर्टों के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अतः प्राधिकरण का मत है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी विनियामक वातावरण सुनिश्चित करने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक निर्णय और विश्लेषण हेतु विस्तृत वित्तीय एवं गैर-वित्तीय जानकारी आवश्यक है।

14. अधिकांश हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि एएसआर प्रस्तुत करने में होने वाली देरी प्रायः अनजाने में होती है और प्रशासनिक, लेखापरीक्षा-संबंधी अथवा तकनीकी कारणों से उत्पन्न होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान दंडात्मक फ्रेमवर्क पर्याप्त है तथा अधिक दंड लगाने से अनावश्यक वित्तीय बोझ उत्पन्न हो सकता है। इस संदर्भ में प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि 'लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016' के विनियम 5 के अंतर्गत रिपोर्टों का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण प्रभावी विनियामक निगरानी और विश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण में विलंब होने से प्राधिकरण की अपनी विनियामक कार्यवाहियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने वित्तीय निरुत्साहन की उक्त रूपरेखा को अपनाया है, जिसके अंतर्गत अल्प अवधि की देरी के लिए कम वित्तीय निरुत्साहन लागू होता है तथा यदि देरी सात दिनों से अधिक अवधि तक जारी रहती है तो उच्च वित्तीय निरुत्साहन लागू होता है।

15. अधिकांश हितधारकों ने मिथ्या रिपोर्ट के मामलों में कुल कारोबार के 1% तक वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने के प्रस्ताव के संबंध में चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कारोबार-आधारित ऐसा दंड मनमाना, अत्यधिक और असंगत है, विशेषकर तब जब मामूली, तकनीकी अथवा लिपिकीय त्रुटियाँ भी अत्यधिक वित्तीय परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत में अन्य कोई क्षेत्रीय विनियामक नियमित रिपोर्टिंग में हुई चूकों के

लिए कारोबार-आधारित दंड नहीं लगाता है, बल्कि अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए नियामक प्रायः निश्चित नाममात्र का दंड का ही प्रयोग करते हैं । कुल कारोबार के प्रतिशत के आधार पर ऐसे त्रुटियों के लिए दंड आरोपित करना, बिना इसे उल्लंघन की गंभीरता या उसकी आवृत्ति से जोड़े, दंडात्मक होगा तथा समानुपातिकता, निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।

16. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए, प्राधिकरण का मत है कि मिथ्या रिपोर्ट के मामलों में अनुपालन न करने की प्रकृति का आकलन मुख्यतः प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाना आवश्यक है। यह आकलन आशय, महत्वपूर्णता, विनियमन अथवा प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव तथा सेवा प्रदाता के पूर्व अनुपालन अभिलेख जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। अनजाने में हुई त्रुटियाँ, जैसे टंकण संबंधी या प्रारूपण संबंधी त्रुटियाँ, ऐसे दस्तावेजों में मामूली चूक के रूप में देखी जा सकती हैं जो आशय को परिवर्तित नहीं करतीं, परंतु शुद्धता के लिए सुधार अपेक्षित होता है। दूसरी ओर, महत्वपूर्ण जानकारी का जानबूझकर किया गया लोप या मिथ्या प्रस्तुतीकरण, जो विनियामक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है तथा निर्णय-निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, उन्हें गंभीर उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए। तदनुसार, गलत रिपोर्टिंग के मामले में, प्राधिकरण ने बड़ी और छोटी उल्लंघनों के आधार पर 5 करोड़ रुपये तक के वित्तीय निरुत्साहनों के अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए हैं, जिन्हें आगे कंपनी के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि इससे न केवल अनजाने या जानबूझकर किए गए लोपों का समाधान होगा, बल्कि बड़े ऑपरेटरों द्वारा किए गए ऐसे उल्लंघनों को भी समुचित रूप से संबोधित किया जा सकेगा जिनका विनियामक और लागत-संबंधी प्रभाव छोटे संस्थानों की तुलना में अधिक व्यापक हो सकता है।

17. हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि विनियामक रूपरेखा को जन विश्वास विधेयक, 2025 की भावना के अनुरूप बनाया जाए, जिसमें सरलीकरण, समानुपातिकता तथा विनियामक निश्चितता पर बल दिया गया है। जहाँ तक जन विश्वास पहल तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एजेंडा के साथ समन्वय का प्रश्न है, प्राधिकरण का मत है कि एक पूर्वानुमेय, पारदर्शी तथा समानुपातिक प्रवर्तन रूपरेखा विनियामक निश्चितता को सुदृढ़ करती है और अंततः व्यवसाय करने की सुगमता को समर्थन प्रदान करती है। वित्तीय निरुत्साहन रूपरेखा का उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल समयबद्ध अनुपालन को प्रोत्साहित करना तथा सेवा प्रदाताओं के बीच विनियामक निगरानी सुनिश्चित करना है।

18. प्राधिकरण का मत है कि क्रमिक (ग्रेडेड) वित्तीय निरुत्साहन लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि लगाया गया दंड उल्लंघन की गंभीरता, सेवा प्रदाता के आशय तथा उल्लंघन के प्रभाव के अनुरूप हो। क्रमिक वित्तीय निरुत्साहन का उद्देश्य निरुत्साहन को अनुपालन न करने की प्रकृति और गंभीरता से जोड़ना है, न कि एक समान दंड लागू करना। ऐसा दृष्टिकोण विनियामक रूपरेखा की अखंडता बनाए रखने तथा हितधारकों को निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से अत्यधिक उच्च दंड अथवा दंडात्मक परिणामों को रोका जा सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ उल्लंघन मामूली या अनजाने में हुआ हो। सीमा-निर्धारित फ्रेमवर्क यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय निरुत्साहन प्रभावी निरोधक के रूप में कार्य करें, बिना सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय दबाव डाले, विशेषकर छोटे संस्थानों पर, जिससे सेवा की निरंतरता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय निरुत्साहनों के भुगतान में विलंब या भुगतान न करने की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रस्ताव जानबूझकर किए गए विलंब को हतोत्साहित करने और विनियामक आदेशों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। यह उपाय न केवल समय पर और उत्तरदायी वित्तीय आचरण को प्रोत्साहित करता है, बल्कि विनियामक दायित्वों के पालन के महत्व को भी सुदृढ़ करता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य विनियमों में पहले से ही अपनाए जा रहे हैं तथा यह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप भी है।

19. इसके अतिरिक्त एक प्रावधान सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत प्राधिकरण, यदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत कारणों में पर्याप्त औचित्य पाता है, तो वित्तीय निरुत्साहन को माफ कर सकता है अथवा उसकी वित्तीय निरुत्साहन राशि को कम कर सकता है। यह प्रावधान विनियामक प्रवर्तन में एक सुरक्षा-तंत्र के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इससे सभी मामलों में एक समान दंड लागू करने की स्थिति से बचाव होगा। यह प्रावधान हितधारकों द्वारा दिए गए उन सुझावों का भी ध्यान रखता है जिनमें कहा गया था कि वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करते समय उल्लंघन की महत्वपूर्णता, अनुपालन न करने के प्रभाव तथा सेवा प्रदाताओं के अनुपालन अभिलेख को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रावधान के अंतर्गत, यदि सेवा प्रदाता ऐसे कारण प्रस्तुत करता है जिन्हें प्राधिकरण ठोस और युक्तिसंगत मानता है, तो वित्तीय निरुत्साहन को पूर्णतः माफ किया जा सकता है या उसकी राशि को कम किया जा सकता है। इस प्रकार यह व्यवस्था कड़े अनुपालन और निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करती है, जिससे सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक कठिनाई डाले बिना विनियामक उद्देश्यों को बनाए रखा जा सके।

20. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह वर्तमान संशोधन विनियम विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संबंधित विनियामक प्रावधानों में संशोधन करने का लक्ष्य रखता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राधिकरण तीन प्रमुख उपायों को लागू करने का प्रस्ताव करता है, अर्थात् उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर क्रमिक (ग्रेडेड) रूप से वित्तीय निरुत्साहन लगाना, वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना तथा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान में विलंब या चूक की स्थिति में ब्याज लगाना । इन उपायों का उद्देश्य निष्पक्षता तथा समानुपातिकता को बनाए रखते हुए प्रवर्तन को सुदृढ़ करना है।

अस्वीकरण: यह लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है । किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026 मान्य होगा ।